BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 जून, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पप्पू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम नई बस्ती कस्बा व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2011 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 414/11 धारा- 363, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.12.2011 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.06.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर